<u>उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या ७३१४/१४-०३-१९८०/८२ वन अनुभाग-३, दिनांक ३१-१२-१९८४ द्वारा निर्धारित मानक शर्ते –</u>

१. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

२. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

३. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।

४. भूमि का सयुंक्त निरिक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं। (जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है)।

५. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुवावजे का भुगतान सम्बंधित विभाग को करना होगा।

६. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।

७. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरिक्षण हेतु आने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

८. बहमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओ से भरपूर वन क्षेत्रो का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा। परन्तु प्रतिबंध यह होगा की वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जंतुओं के स्वछंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी। (लागू नहीं क्योकि वन्य जंतु व बहुमूल्य वन सम्पदा का हस्तांतरण नहीं होना है)।

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

९. सिचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

१०. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

११. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइंगमेंट तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतिय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, भारतिय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या ६०८/सी/ दिनांक १० -०२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी " भारतिय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक वभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नयी सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

१२. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

१३. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरप्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें, द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

१४. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ो का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय, जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, का भुगतान विभाग को करना होगा। १००० मीटर एवं ३० से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

प्रकार बीच के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरिक्षण वन संरक्षक के स्तर पर ही हो सकेगा।

१५. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइनें ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरिक्षण करके सम्बंधित उपवन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

१६. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

१७. उपर्लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

१८. वन भूमि वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर आश्वासन प्राप्त हो जाय।

मैं संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक साऊथ ईस्ट यू० पी० पी० टी० सी० एल० प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.